न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00069/2020 **दायरा दिनांक : 24.08.2020**

उनवान

जानकी बाई उम्र 50 वर्ष पत्नि कल्लू, जाति सहरिया, निवासी खिरखिरी, तहसील कराहल, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1– माणक चन्द, उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री घासीलाल, जाति लुहार, निवासी मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– पूनिया बाई उम्र 56 वर्ष पत्नी श्री माणक चन्द, जाति लुहार, निवासी मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल योगी एवक श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 58/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 29.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है । ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहबाद में खसरा नम्बर 23/1 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है जो 40 वर्ष पूर्व रामचन्द्र पुत्र अमरू सहरिया को आवंटन होकर उसके खाते दर्ज हुई थी, उसके फौत होने के बाद उसके वारिसान के नाम इंतकाल खुलकर खाते दर्ज हो गई। उसके बाद विवादित आराजी वादिनी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की तथा उसके खाते दर्ज हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी तो बनायी है परन्तु तकनी का विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2020 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहबाद में खसरा नम्बर 23/1 रकबा 10 बीघा आराजी रामचन्द्र पुत्र अमरू सहरिया को आवंटन की गई । रामचन्द्र के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण से खाते दर्ज हो गई । जानकीबाई ने वादग्रस्त आराजी रजिस्ट्री से खरीदी । एक्जीविट 5 नक्शे में रामचन्द्र का नाम है । वादग्रस्त एन एच में अधिग्रहित हुई जिसका मुआवजा भी रामचन्द्र को मिला । सैटलमेंट ने हमारी आराजी खसरा नम्बर 23/1 को पीछे कर दिया तथा खसरा नम्बर 23/3 रेस्पोडेंट को आगे कर दिया । रजिस्ट्री में वादग्रस्त आराजी 200 मीटर दूर है । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी विक्रय पत्र में एन एच में 200 मीटर दूरी पर स्थित होना बताया गया । वादग्रस्त आराजी पर रामचन्द्र का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार, मुताबिक रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है । प्रकरण में कुल 7 तनकी कायम की गई है ।

तनकी नम्बर 1 – वादी अपीलांट के पक्ष में मुताबिक रेकार्ड निर्णीत की गई है।

तनकी नम्बर 2 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया अपीलांट पर था । वादिनी के वाद पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि विवादित आराजी के मूल आवंटी को 10 बीघा आराजी का आवंटन हुआ है और वादिनी अपीलांट द्वारा भी 10 बीघा भूमि क्रय की है, जो वर्तमान में उसके खाते में दर्ज है, इसके विपरीत अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि खसरा नम्बर 23/1 में से कोई रकबा एन. एच. – 27 के निर्माण में आवंटित हुआ हो तथा वादिनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पूर्व वाद पत्र संख्या 15/14 प्रदर्श बी – 2 में यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है कि विवादित भूमि में से कोई रकबा एन. एच. – 27 के निर्माण में आवंटित हुआ हो । इस तरह वादिनी द्वारा वाद पत्र में इस तथ्य को संयोजित किया है, जो प्रार्थना पत्र प्रदर्श – डी 3 के विपरीत है । वादिनी द्वारा प्रस्तुत अवाप्त निजी भूमि मुआवजा वितरण पत्र अनुसूची – 1 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 6 में खसरा नम्बर 23/1 की विवादित भूमि का कोई अंकन दर्ज नहीं है । इसके अलावा वादिनी द्वारा जिस विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय करना बताया है उसमें विवादित भूमि का एन. एच. – 27 से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होना विक्रेताओं द्वारा दर्ज करवाया गया है । इन सभी दस्तावेजों से यह साबित होता है कि विवादित भूमि एन. एच. – 27 से लगी हुई नहीं है । अतः वादिनी अपीलांट इस तनकी को प्रमाणित करने में असफल होने से यह तनकी वादिनी अपीलांट के खिलाफ निर्णीत की गई है, जो सही है ।

तनकी नम्बर 3 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था । वादिनी द्वारा दखलनामा प्रदर्श – 5 को आधार मानकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादिनी अपीलांट द्वारा अपने बयानों में, जिरह में, नक्शाट्रेस प्रदर्श – डी – 4 को सही होना स्वीकार किया है । वादिनी अपीलांट की इस स्वीकारोक्ति के विपरीत अन्य कोई उपधारणा करना विधि सम्मत नहीं है। वादिनी अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होना, अपीलांट वादिनी ने विक्रेताओं से कहां कब्जा लिया, मूल आवंटी रामचन्द्र को

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

आवंटन पत्र में कहां दखल दिया गया, विवादित खसरा नम्बर का नक्शाट्रेस आदि अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करना, तथा क्रय की जाने वाली भूमि का एन. एच.– 27 से 200 मीटर से अधिक दूरी पर होना इस बात को प्रमाणित करता है कि नक्शा गलत तरमीम नहीं किया गया है । इस तरह से यह तनकी भी वादिनी अपीलांट के विरूद्ध निर्णीत की गई है, जो सही है ।

तनकी नम्बर 4 – तनकी नम्बर 2 और तनकी नम्बर 3 की रोशनी में वादिनी अपीलांट के खिलाफ तय की गई है, जो सही है ।

तनकी नम्बर 5 – अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 5 को पृथक से निर्णीत करने की आवश्यकता नहीं समझी है, जो सही है ।

तनकी नम्बर 6 – प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट द्वारा सिद्ध की जानी थी । प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से खसरा नम्बर 23/3 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 खातेदार प्रमाणित होते हैं । यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की गई है, जो सही है ।

तनकी नम्बर 7 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है । लेकिन इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से मात्र वाद पत्र संख्या 15/14 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श करवाया गया है लेकिन मौखिक साक्ष्य में कुछ भी नहीं कहा गया है, इस कारण यह तनकी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध निर्णीत की गई है, जो सही है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार तनकीवार विवेचन करके दस्तावेजी रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्म्त है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

जानकी बाई उम्र 50 वर्ष पत्नि कल्लू, जाति सहरिया, निवासी खिरखिरी, तहसील कराहल, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
.... **अपीलांट**

बनाम

1– माणक चन्द, उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री घासीलाल, जाति लुहार, निवासी मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां
2– पूनिया बाई उम्र 56 वर्ष पत्नी श्री माणक चन्द, जाति लुहार, निवासी मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां
.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 00069 / 2020
मु.द.नं0 58 / 2015

एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद**
निर्णय व डिकी दिनांक – **29.07.2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री बी एल योगी एवं श्री बी एल जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.07.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)